

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों को ₹ 75,32,867/- (कुल पचहत्तर लाख बत्तीस हजार आठ सौ सड़सठ रूपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो० नीति, 2011 के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक-08.08.16 की बैठक में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापक-3334 दिनांक-14.09.16 के आलोक में निम्नांकित औद्योगिक ईकाइयों को उनके नाम के सामने अंकित विवरण के अनुसार डी०जी०सेट/कैप्टिभ पावर प्लांट अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	ईकाई का नाम/ पता	अनुदान की राशि
1	मेसर्स दीना मेटल्स लिमिटेड, अब्दुल रहमानपुर रोड, दीदारगंज, पटना सिटी, पटना	₹ 15,00,500/-
2	सर्वश्री पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि०, प्लॉट नं०-P-8, औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा	₹ 13,18,056/-
3	मेसर्स पटना पेट्रोकेमिकल्स प्रा० लि०, मौजा-डिहरी, थाना-बिहटा, पटना	₹ 2,23,800/-
4	मेसर्स नारायण एग्री प्रोडक्ट प्रा० लि०, अरण्डा, औरंगाबाद	₹ 14,62,500/-
5	मेसर्स माधव इण्डस्ट्रीज, सिगरियागा, शाहजहाँपुर, दनियावाँ, पटना	₹ 1,76,883/-
6	मेसर्स प्रेम पॉली प्रोपाईल प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, फुलवारी शरीफ, पटना	₹ 2,42,500/-
7	सर्वश्री आम्रपाली पैकेजिंग प्रा० लि०, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर (वैशाली)	₹ 2,70,591/-
8	सर्वश्री गोवर्धन इस्पात इण्डिया प्रा० लि०, सिमलीमुरारपुर, दीदारगंज, पटना सिटी, पटना	₹ 7,10,000/-
9	मेसर्स श्रीराम जानकी एग्री प्रोसेसिंग प्रा० लि०, जिनोरिया, खैरादीप, औरंगाबाद	₹ 6,01,071/-
10	चाणक्या एग्री प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, किशनगंज	₹ 10,26,966/-
	कुल	₹ 75,32,867/-

(कुल पचहत्तर लाख बत्तीस हजार आठ सौ सड़सठ रूपए मात्र)

- (i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।
- (ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।
2. उक्त राशि का व्यय वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या-2492, दिनांक-11.07.2016 एवं आवंतनादेश संख्या-41/आं0 दिनांक-19.07.2016 के आलोक में मांग संख्या-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड:- P2852801020160 राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5432 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जाएगी।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।
6. इस राशि का भुगतान संबंधित ईकाइयों को डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS/NEFT के माध्यम से की जाएगी।

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर ईकाई के नाम के साथ-साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।

पटना, दिनांक.....

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 36/11

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 3.10.16

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ सभी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ कार्यकारी निदेशक, बिराडा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार)/ आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित ईकाइयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

h